



जागत

हमारा



वैपाल से
भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 26 अगस्त-01 सितंबर 2024 वर्ष-10, अंक-19

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ:-8, मूल्य:- 2 रुपए

इंसान तो दूर
मवेशियों के खाने
लायक भी नहीं

-मंत्री गोविंद सिंह ने कहा-हमें शिकायतें मिलीं, सरकार ने दिए जांच के आदेश

मध्य प्रदेश के गोदामों में रखा लाखों टन गेहूं सड़ा

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के सरकारी गोदामों में रखे-रखे लाखों टन गेहूं सड़ा गया। कीड़े भी लग गए हैं। अब गेहूं इंसान तो दूर मवेशियों के खाने लायक भी नहीं बचा है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते वित्तीय और खाद्य सुरक्षा को भारी नुकसान हुआ है। अब कुछ लोग मध्य प्रदेश में खाद्य भंडारण की व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय खाद्य निगम ने इन सड़े हुए गेहूं को लेने से इंकार कर दिया था। उसने इसे खाने के लिए अनुपयुक्त बताया

था। वहीं, मामले के उजागर होने के बाद सरकार ने आनन-फानन में जांच के आदेश दिए हैं। एफसीआई के अनुसार मध्य प्रदेश में 10.64 लाख टन गेहूं अब मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। इसमें से 6.38 लाख टन को बचाया जा सकता है, लेकिन गुणवत्ता में काफी समझौता होगा। बाकी गेहूं को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि खराब गेहूं प्रदेश के किसी एक या दो गोदामों या किसी खास क्षेत्र में नहीं पाया गया, बल्कि पूरे राज्य का यही हाल है।

पशुओं के चारे से की गई तुलना

एक रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि हाल ही में किए गए निरीक्षण में पता चला कि 2,600 टन गेहूं - जिसे 2018 और 2021 के बीच जबलपुर से खरीदा गया था और अशोकनगर में संग्रहीत किया गया था, वह भी इतनी खराब गुणवत्ता का था कि इसकी तुलना पशुओं के चारे से की गई। वहीं, गोदाम प्रबंधक उदय सिंह चौहान ने स्वीकार किया कि गेहूं तीन महीने पहले आया था, लेकिन गुणवत्ता खराब हो गई है।



गेहूं में रेत और कंक्रीट

प्रदेश में 5.37 करोड़ परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न पर निर्भर हैं। इन कमजोर आबादी को अनुपयुक्त गेहूं के संभावित वितरण के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। पिछले साल फरवरी में सतना में सरकारी खरीदे गए गेहूं में रेत, कंक्रीट और मिट्टी की धूल मिलाने के आरोप में साइलो बैग स्टोरेज कंपनी के शाखा प्रबंधक सहित छह लोगों पर आरोप लगाया गया था।



हमें शिकायतें मिली हैं। चाहे गलती अधिकारियों की हो या गोदाम मालिकों की, मैंने सख्त और तत्काल जांच के लिए प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।

गोविंद सिंह राजपूत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

गौपालन में 10 लाख के कर्ज में 25 फीसदी मिलेगी सब्सिडी

सड़कों से साढ़े तीन लाख पशुओं को अब गौशाला लाएगी सरकार

» मप्र में बनाए जा रहे 12 वन्य विहार, जगह भी तय कर ली गई
» एक वन विहार में करीब दस हजार गायों को रखा जाएगा

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के शहरों के सड़कों पर आवारा घूमने वाले साढ़े तीन लाख से ज्यादा आवारा पशुओं को गौशाला में लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी ताकत से जुट गई। इसके लिए तरह-तरह की योजनाएं लाई जा रहे हैं ताकि किसान भी गौपालन की ओर रुचि बढ़ाएं। इस समस्या के निवारण में सरकार के प्लान को लेकर मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री लखन पटेल ने बात की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की सड़कों पर करीब साढ़े तीन लाख आवारा पशु सड़कों पर हैं जिन्हें गौशालाओं में लाने के लिए सरकार वन्य विहार खोल रही है और किसानों को 10 लाख रुपए तक का कर्ज देकर डेयरी खोलने के लिए प्रेरित कर रही है जिसमें किसानों को 25 फीसदी तक सब्सिडी भी दी जाएगी।



» अब पशुओं को छोड़ने वाले के लिए बनेगा कठोर कानून
» गोचर भूमि से कब्जा छुड़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

सीएम का विशेष फोकस

पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने बताया कि शहरों में आवारा पशुओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का विशेष फोकस है। इसके लिए वह लगातार काम कर रहे हैं। इस समस्या का विधान दो-चार दिन में नहीं हो सकता है। हमारा जो अभी प्लान है उसमें करीब 50 प्रतिशत आवारा पशुओं को हम रोड से बाहर ले आएंगे। इसके लिए प्रदेश के करीब 12 जगह वन्य विहार बनाए जा रहे हैं और इसके लिए जगह भी तय कर ली गई है। उसके प्रस्ताव भी हमारे पास आ गए हैं। एक वन विहार में करीब 10 हजार गायों को रखा जाएगा।

आवारा पशु सड़क पर नहीं दिखेंगे

पशुपालन मंत्री ने बताया कि जल्द ही मध्य प्रदेश की सड़कों पर घूमने वाले करीब 50 प्रतिशत पशुओं को सड़कों से बाहर ले आएंगे। उन्हें वन्य विहार में रखा जाएगा इसके लिए पूरा प्लान तैयार है। मध्य प्रदेश में किसान गरीब को खुशहाल बनाने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। सड़कों पर घूमने वाले आधे पशु तो पशुपालकों के ही हैं। लोग गायों का दूध निकाल कर को छोड़ देते हैं। पशुओं को आवारा छोड़ने वालों के लिए हम कठोर कानून बनाने जा रहे हैं। इन गायों को वन्य विहार में लेंगे तो जिनकी गए होगी वह खुद ही आकर अपनी गया वहां से ले जाएंगे।



मंत्री ने बताया कि हाल ही में जब प्रशासन ने पशुओं को अपने कब्जे में लिया तो कई लोग आकर बोले हैं कि मेरी गाय है और दोबारा नहीं छोड़ने के शर्त पर अपने घर ले गए। किसानों का कहना है कि जो गोचर की भूमि है उन्हें कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। गोचर भूमि को खाली करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। गोचर की भूमि खाली कराई जाएगी। खाली कराकर कर उसके फेंसिंग कराया जाएगा। आदिवासी अंचल में अभी भी ट्रैक्टर नहीं बैलों से खेती की जा रही है। बड़े जगह में जरूर बैलों का उपयोग बंद हो गया लोग ट्रैक्टरों का उपयोग कर रहे हैं। लोग तकनीकी की ओर चले गए परंपरागत खेती बंद हो रही। पशुपालन का उत्पादन को हम व्यावसायिक बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

गोचर की भूमि कराई जाएगी खाली

मंत्री ने बताया कि हाल ही में जब प्रशासन ने पशुओं को अपने कब्जे में लिया तो कई लोग आकर बोले हैं कि मेरी गाय है और दोबारा नहीं छोड़ने के शर्त पर अपने घर ले गए। किसानों का कहना है कि जो गोचर की भूमि है उन्हें कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। गोचर भूमि को खाली करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। गोचर की भूमि खाली कराई जाएगी। खाली कराकर कर उसके फेंसिंग कराया जाएगा। आदिवासी अंचल में अभी भी ट्रैक्टर नहीं बैलों से खेती की जा रही है। बड़े जगह में जरूर बैलों का उपयोग बंद हो गया लोग ट्रैक्टरों का उपयोग कर रहे हैं। लोग तकनीकी की ओर चले गए परंपरागत खेती बंद हो रही। पशुपालन का उत्पादन को हम व्यावसायिक बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

मध्यप्रदेश के हर जिले को मिलेगा एडवांस स्कैनर

अब पलभर में हो जाएगी मिलावटी दूध की जांच

-जिलों को स्कैनर और 40 नई चलित लैब मिलेगी

-ग्वालियर-चंबल में सबसे अधिक मिलावट मिली

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में अब दूध की मौके पर ही दो मिनट में जांच हो सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार से प्रदेश के सभी जिलों को एक-एक एडवांस मिलक स्कैनर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे दूध में पानी, यूरिया, डिटर्जेंट, ग्लूकोज आदि की मिलावट का पता चल जाएगा। अक्टूबर-नवंबर तक मिलक स्कैनर मिलने की संभावना है। पानी की मिलावट तो अभी भी लैक्टोमीटर से मौके पर ही पता लगाई जा रही है, पर अन्य चीजों की जांच के लिए सैंपल भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं। यहां मिलकोमीटर से परीक्षण किया जाता है, जिसमें लगभग 1 माह लग जाता है। अब जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी कहीं भी मिलक स्कैनर ले जाकर दूध की जांच कर सकेंगे।



दो लाख का मिलक स्कैनर

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि एक मिलक स्कैनर लगभग 2 लाख रुपए में आता है। स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2020 में मिलावट से मुक्ति अभियान प्रदेश भर में चलाया था। उस दौरान दूध और दूध से बनी चीजों में सबसे अधिक मिलावट ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पाई गई थी।

छह माह से चल रही जांच

प्रदेश भर से इतने सैंपल राज्य प्रयोगशाला में भेजे गए थे कि 6 माह में भी जांच पूरी नहीं हो पाई थी, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार, वैध सैंपलों की जांच 14 दिन में होनी चाहिए, लेकिन अभी भी सैंपलों की जांच में एक माह का समय लग जा रहा है। अब मिलक स्कैनर से वैध और सर्विलांस दोनों तरह के सैंपल लिए जा सकेंगे।

प्रदेश को मिलेगी चलित लैब

कहा जा रहा है कि 40 चलित लैब भी इस वर्ष के अंत तक प्रदेश को केंद्र से मिलने वाली हैं। इनमें दूध की सभी मापदंडों के आधार पर जांच की जा सकेगी। चलित लैब में अन्य खाद्य पदार्थों की भी जांच हो जाएगी। प्रदेश में पहले से 15 चलित लैब हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं।

-मध्यप्रदेश ने प्रोत्साहन के लिए शुरू की खास स्कीम

जैविक खेती करने किसानों को पांच हजार देगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

जैविक खेती आज समय की जरूरत बनती जा रही है, क्योंकि खेती की ऐसी पद्धति है जिसमें किसान लंबे समय तक खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए आर्थिक मदद भी की जा रही है। इस पद्धति से खेती करने पर जमीन और पर्यावरण को फायदा मिलता है। खेती की उपजाऊ क्षमता लंबे समय तक के लिए बनी रहती है। इससे किसान लंबे समय तक खेती कर सकते हैं और कम खर्च में अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने स्कीम शुरू की है जिसका फायदा किसान उठा सकते हैं।

जैविक खेती के बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को तीन साल के लिए जैविक खेती करने पर पांच हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिए जाएंगे। जैविक खेती कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कृषि इनपुट के लिए बाजार पर किसानों की निर्भरता कम हो जाती है। किसान कृषि के लिए खाद और कीटनाशक जैसे इनपुट खुद से तैयार करते हैं या बाजार से भी जैविक खेती करने वाले ही इनपुट खरीदते हैं। इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल किया जाता है।



इस तरह मिलेगा लाभ

जैविक कृषि विकास योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए तीन साल तक प्रति हेक्टेयर पांच-पांच हजार दिए जाएंगे। साथ ही इसका पूरा रिकॉर्ड रख जाएगा। किसानों के जैविक उपज का सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सकेगी। योजना के तहत किसानों के ऐसे समूह तैयार किए जाएंगे जो मिलकर 20 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर सकें। इसमें 10-25 किसानों को मिलाकर एक कलस्टर बनाया जाएगा जिसका अधिकतम क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर का होगा। अधिकांश दो हेक्टेयर जमीन के लिए किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने जिला स्तर के कृषि विभाग में पंजीकरण कराना होगा।

किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण

मध्य प्रदेश के जैविक कृषि विकास योजना के तहत किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले किसानों के 500 समूह बनाए जाएंगे। इन समूहों के जैविक खेती करने के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। किसानों को जैविक खेती के बारे में सिखाया जाएगा। इतना नहीं, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उपज की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि किसानों को इसकी खेती करने से अच्छा फायदा हासिल हो सके। इसके साथ ही किसानों को अपने जैविक उत्पादों को बेचने में अधिक परेशानियों को सामना नहीं करना पड़े। किसानों तक इस योजना का लाभ देने के लिए आउटसोर्स एजेंसियों का चयन किया जाएगा। यह किसानों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगी।

एजीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा-हमें लगातार मिल रही थी शिकायत

बाजार में अब ए1ए2 के नाम से नहीं बिकेगा घी-मक्खन, एफएसएसआई ने लगाई रोक

भोपाल। जागत गांव हमार

फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी पत्र में 2011 के आधार पर नियम और कानून का हवाला देते हुए कहा गया है कि दूध के मानकों में ए1 और ए2 प्रकार के आधार पर दूध के किसी भी भेदभाव का ना तो जिक्र किया गया है और ना ही मान्यता दी गई है।

इसलिए इसके नाम पर होने वाली बिक्री पर रोक लगा दी गई है। खासतौर पर ई-कॉमर्स प्लेटफार्म और सोशल मीडिया पर ए2 के नाम से घी-मक्खन बेचने की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे लोग दावा करते हैं कि ये

देसी गाय के ए2 दूध से बना है। और ऐसे घी के रेट की बात करें तो कोई दो हजार रुपये किलो बेच रहा है तो कोई तीन हजार रुपये किलो।

घी ही नहीं और भी डेयरी प्रोडक्ट ए2 दूध से बने होने का दावा करते हुए बेचे जा रहे हैं। लेकिन 21 अगस्त को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर रोक लगा दी है। एजीक्यूटिव डायरेक्टर इनोशी शर्मा ने एक पत्र जारी किया है।

उसका कहना है कि हमें लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि कई फूड बिजनेस ऑपरेटर एफएसएसआई



लाइसेंस संख्या या पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या के तहत ए1 और ए2 के नाम से दूध और दूध से बने प्रोडक्ट घी, मक्खन, दही आदि की बिक्री कर रहे हैं। जबकि ए1 और ए2 दूध का संबंध प्रोटीन (बीटा कैसिन) से है। इसलिए, दूध और फैट उत्पादों पर किसी भी ए2 दावे का इस्तेमाल भ्रामक (गलत) है। ये एफएसएसआई अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए रेग्यूलेशन के तहत निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

सामान्य भाष में जानिए क्या है ए1-ए2

गाय और भैंस के दूध में मौजूद प्रोटीन में कुछ हिस्सा बीटा कैसिन होता है। लेकिन ये भी दो तरह का होता है। इसे सामान्य भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि जो बीटा कैसिन गाय के दूध में होता है वो आसानी से हजम (पच) हो जाता है। लेकिन भैंस का दूध हजम करने में कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। और हजम होने वाला बीटा कैसिन भी खासतौर पर देसी नस्ल की गाय जैसे साहीवाल, गिर, राठी आदि में ही पाया जाता है।

6 महीने में हटाने होंगे ए1-ए2 वाले प्रोडक्ट

एफएसएसआई ने पत्र जारी करते हुए सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर को आगाह किया है कि अब दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को ए1-ए2 का फर्क करते हुए नहीं बेचा जाएगा। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। लेकिन फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास प्री-प्रिंटेड लेबल को खत्म करने के लिए छह महीने का वक्त दिया गया है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि इसके बाद ऑपरेटर को कोई और वक्त नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्हें ये चेतावनी भी दी है कि वे अपनी बेवसाइट से ए1 और ए2 प्रोटीन से संबंधित सभी दावों को फौरन हटा लें।

किसानों की जमीन के क्रय-विक्रय, नामांतरण की कार्रवाई ऑनलाइन

साइबर तहसील के संचालन के लिए तहसीलदार की संख्या की गई दोगुना



भोपाल। जागत गांव हमार

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि साइबर तहसील के सुचारु संचालन के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। वर्तमान में साइबर तहसील भोपाल में 8 नायब तहसीलदार और 3 तहसीलदार पदस्थ थे। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के 7-7 पद बढ़ाए गए हैं। अब साइबर तहसील में 10 तहसीलदार और 15 नायब तहसीलदार पदस्थ होंगे। साइबर तहसील भोपाल द्वारा प्रदेश के सभी 55 जिलों में किसानों की जमीन के क्रय-विक्रय की नामांतरण की ऑनलाइन कार्रवाई की जाती है। प्रदेश के सभी 55 जिलों में जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद किसानों को नामांतरण के लिए आवेदन नहीं लगाना पड़ता और तहसील के चक्र भी नहीं लगाना पड़ते। रजिस्ट्री होते ही ऑनलाइन जानकारी साइबर तहसील पहुंचती है। साइबर तहसील में तहसीलदार द्वारा नामांतरण की पूरी कार्रवाई कर नामांतरण आदेश जारी किया जाता है। यह कार्यवाही 20 दिन की अवधि में पूरी हो जाती है। कार्यवाही पूरी

होने पर नामांतरण आदेश और खसरा की प्रति संबंधित के मोबाइल पर व्हाट्स-अप और एसएमएस से भेजी जाती है। पहले नामांतरण के लिये आवेदन करना होता था, खसरे में नाम चढ़वाने के लिये पटवारी से सम्पर्क करना पड़ता था। इसके बाद खसरा और खतौनी की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए लोक सेवा केन्द्र या कियोस्क पर भी जाना पड़ता था, जिसमें बहुत समय लगता था और कठिनाई भी होती थी। इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा को सामने लाया गया। साइबर तहसील की कार्यवाही के बाद अब न तो आवेदन करना होता है और न ही तहसील के चक्र लगाना पड़ते हैं। एक अनुमान के मुताबिक एक वर्ष में प्रदेश में लगभग 14 लाख नामांतरण प्रकरण होते हैं। इनमें 8 लाख प्रकरण भूमि के विक्रय संबंधी प्रकरण होते हैं। इन सभी 8 लाख प्रकरणों में क्रय-विक्रय आधारित पंजीयन के बाद नामांतरण का पूरा कार्य ऑटोमेटिक, ऑनलाइन और पेपरलेस होता है। इससे नागरिकों को बहुत सुविधा मिल रही है।

सीएम डॉ. मोहन यादव बोले-पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश व प्रदेश को बनाएंगे नंबर वन

» तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में डाले 115 करोड़ रुपए का बोनस
» मध्यप्रदेश में निरंतर होंगे गौ-संवर्धन और गौ-संरक्षण के कार्य

प्रदेश के लघु वनोपज प्रबंधकों का मानदेय बढ़ाएगी राज्य

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास का कारवां देश एवं प्रदेश में चल रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। हमारे प्रयास हैं कि हम अगले 5 वर्षों में इसे 7 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। हमारा संकल्प देश और प्रदेश को नंबर एक बनाना है। उन्होंने कहा कि श्योपुर-विजयपुर-कराहल क्षेत्र प्राकृतिक दृश्य अत्यंत समृद्ध है, परंतु विकास में अभी तक पिछड़ा हुआ था, अब हम इसे पीछे नहीं रहने देंगे। जनजातीय क्षेत्रों के विकास में भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री श्योपुर जिले के कराहल में तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के 30 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2023 की 115 करोड़ की बोनस राशि का वितरण किया। इसी के साथ उन्होंने 37 करोड़ 67 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमि पूजन किया, जिनमें 21 करोड़ 28 लाख रुपए के लोकार्पण एवं 16 करोड़ 39 लाख रुपए के शिलान्यास शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार अनुसूचित जनजातियों के विकास और में कल्याण में कोई कमी नहीं रखेगी। तेंदूपत्ता संग्राहकों में लगभग 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग शामिल हैं। ये लघु वनोपज पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हें वनोपज का अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2007 तक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 750 रुपए प्रति मानक बोरा दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 4000 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है। प्रदेश के 30 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के 13 लाख परिवारों को 953 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से बोनस का वितरण किया है।



अब अनुकंपा नियुक्ति भी देंगे

सीएम ने कहा कि केवल ग्वालियर सर्कल में ही 2 करोड़ से अधिक रुपए का बोनस बांटा जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के शुद्ध लाभ को 50 फीसदी से बढ़कर 75 फीसदी किया गया है। प्रदेश में 500 बोरा तक संग्रहण वाली वनोपज समितियों के प्रबंधकों का मानदेय 13000 से बढ़ाकर 14000 रुपए और 500 से 2000 प्रति मानक बोरा तक संग्रहण वाली समितियों के प्रबंधकों के मानदेय को बढ़ाकर 15000 रुपए और जिन समितियों द्वारा 2000 मानक बोरे से अधिक का तेंदूपत्ता संग्रहण किया जा रहा है उनके प्रबंधकों का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 16000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। समिति प्रबंधकों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति और एक लाख उपादान की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की।

गौ-वंश सुधार केंद्र बनेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में गौ-संवर्धन और गौ-संरक्षण के कार्य किया जा रहे हैं। सरकार ने 10 से अधिक गौ-वंश पालने वाले गौ-पालकों को अनुदान देने का निर्णय लिया है। दुग्ध उत्पादकों को भी बोनस दिया जाएगा। कराहल क्षेत्र गिर गायों के लिए प्रसिद्ध है, यहां गौ-वंश सुधार केंद्र स्थापित किया जाएगा।

सहरिया जाति का विकास

वन मंत्री रामनिवास रावत ने कहा कि पहले तेंदूपत्ता संग्राहकों को 450 रुपए प्रति मानक बोरा बोनस मिलता था, जो आज 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा मिल रहा है। पं. दीनदयाल के आदर्शों पर चलकर हमारी सरकार सहरिया जाति का विकास कर रही है। वहीं कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंधाना ने कहा कि क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि कार्यक्रम में आए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री विजयपुर क्षेत्र में इतने कम समय में भी तीसरी बार आए हैं।

» प्रदेश में रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम, 2024 क्रियाशील
» सुरक्षा में लापरवाही पर 25 हजार तक का लगेगा जुर्माना

बचाव कार्य की राशि भी ड्रिलिंग एजेंसी और भूमि स्वामी देगा सावधान! खुले बोरवेल में दुर्घटना होने पर अब दर्ज होगी एफआईआर

भोपाल। जागत गांव हमार

खुले बोरवेल (नलकूप) में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम-2024 बनाया गया है जो क्रियाशील हो चुका है। इस अधिनियम में यदि बोरवेल (नलकूप) के ड्रिलिंग के समय ड्रिलिंग एजेंसी द्वारा समुचित सुरक्षा उपाय नहीं किए जाने और दुर्घटना की स्थिति में ड्रिलिंग एजेंसी के साथ ही भूमि स्वामी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के प्रावधान हैं। ड्रिलिंग एजेंसी या भूमि स्वामी की लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना होने पर ड्रिलिंग एजेंसी एवं भूमि स्वामी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। ड्रिलिंग एजेंसी एवं भूमि स्वामी यदि सुरक्षात्मक उपाय के निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहते हैं तो प्रथम अपराध के लिए 10 हजार रुपए तक और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए 25 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में दोषसिद्धि पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100, 105, 106 तथा 110 के प्रावधान अनुसार दण्डित किया जाएगा। दुर्घटना के दौरान किसी व्यक्ति के बचाव के लिए उपगत व्यय, ड्रिलिंग एजेंसी या भूमि स्वामी से वसूल किया जाएगा। इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध 30 दिन की अवधि में अपील की जा सकेगी।



खराब होने के तीन माह के अंदर बंद करना होगा

ड्रिलिंग एजेंसी को बोरवेल/नलकूप की ड्रिलिंग के पूर्व निर्धारित वेब पोर्टल पर डाटा भरकर ड्रिल करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी। ड्रिलिंग एजेंसी को ड्रिलिंग स्थल, भूमि स्वामी के संबंध में संपूर्ण जानकारी देना होगा। ड्रिलिंग के दौरान और उसके पूर्ण होने के बाद सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करना होगा। निष्क्रिय बोरवेल (नलकूप) को 3 माह के अंदर भूमि स्वामी द्वारा बंद करना होगा। भूमि स्वामी या ड्रिलिंग एजेंसी सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर बोरवेल (नलकूप) में कैप नहीं करते हैं तो कैप करने में उपगत व्यय वसूला जाएगा।

पुरस्कार का भी प्रावधान

खुले बोरवेल (नलकूप) में सक्षम अधिकारी स्वयं अथवा किसी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त होने पर संज्ञान ले सकेगा। शिकायत सत्य पाये जाने पर शिकायतकर्ता को पुरस्कृत करने का भी प्रावधान अधिनियम में शामिल है।

उद्यानिकी की योजना से किसान कमा रहे मुनाफा



भोपाल। जागत गांव हमार

केन्द्र और राज्य सरकार की मंशा है कि खेती मुनाफे का व्यवसाय बने। इस सोच को लेकर किसान हितैषी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के अनेक किसानों ने इन योजनाओं से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाई है। ऐसे ही एक किसान देवास के सुखदेव हैं। किसान सुखदेव का परिवार लंबे समय से परंपरागत खेती और पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा था।

उनके यहां अच्छी मात्रा में दूध एकत्र किया जाता था। सुखदेव अपने यहां एकत्र होने वाले दूध का शत-प्रतिशत उपयोग करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उद्यानिकी विभाग से संपर्क किया और उन्होंने दूध से बने उत्पाद का

प्रोजेक्ट जमा कराया। प्रोजेक्ट पर विचार के बाद उन्हें उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की जानकारी दी गई। इसके बाद उन्हें ऋण भी मंजूर हुआ। प्राप्त ऋण राशि से उन्होंने मावा बनाने की मशीन और दूध संग्रहित करने के लिए फ्रीजर के साथ अन्य मशीनों को अपने यहां स्थापित किया। किसान सुखदेव बताते हैं कि दूध से बने उत्पाद की अच्छी मांग होने से उन्हें खेती के अलावा अन्य आय भी होने लगी है। शुद्धता की वजह से क्षेत्र में उनकी साख भी बढ़ी है। अब वे प्रति माह करीब एक लाख रुपये की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। सुखदेव इसके लिये केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को धन्यवाद देते हैं।

मिसाल: बुंदेलखंड के सूखे जल स्रोतों के पुनरुद्धार में लगीं जल सहेलियां

बुंदेलखंड गंभीर जल संकट के लिए जाना जाता है। इसका सबसे अधिक असर हाशिये पर खड़े समाज पर पड़ रहा है। खासकर महिलाओं को पानी की बूंद-बूंद का इंतजाम करने के लिए अपने सब कुछ का दांव पर लगाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जो स्थायी समाधान के लिए बड़ी से बड़ी चुनौती से लड़ रहे हैं।

यह कहानी उन महिलाओं की है, जिन्होंने एक पहाड़ काटकर पानी गांव तक पहुंचाने की पहल की जिसके परिणामस्वरूप यहाँ के भौगोलिक व सामाजिक परिदृश्य में अकल्पनीय बदलाव आ रहे हैं।

किरण मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव अगरोठा में रहती हैं। यह जिला उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है।

किरण कहती हैं, मुझे पानी के लिए रोजाना 2 से 2.5 किमी पैदल चलना पड़ता था। ऊंची जाति के लोगों ने हमें उनके टैंकर से पानी नहीं लेने देते हैं।

दरअसल किरण एक जल सहेली हैं। उनकी तरह पूरे बुंदेलखंड में लगभग 1,000 जल सहेलियां सक्रिय हैं। प्राथमिक तौर पर ये जल संरक्षण व पर्यावरण के मुद्दों पर काम करती हैं। इन जल सहेलियों को 'परमार्थ समाज सेवा संस्थान ने प्रशिक्षित किया है।

बुंदेलखंड में जल सहेलियां सूख चुके जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए काम कर रही हैं। इसके लिए पानी पंचायत (जल पंचायत) का आयोजन किया जाता है।

2019 में अगरोठा में हुई एक पानी पंचायत का निष्कर्ष ये निकला कि वर्षा जल संरक्षण से ही पानी की समस्या सुझाई जा सकती है। गांव में एक ही तालाब है, जो अधिकांश समय सूखा रहता था।

अगरोठा बक्सवाहा के जंगली पहाड़ों के किनारे बसा हुआ है। इन पहाड़ियों पर गिरने वाला और जंगल से बहकर

आने वाला बारिश का पानी पहले तालाब के पीछे दो पहाड़ियों के बीच से बहकर निकल जाता था। जल सहेलियों ने एक पहाड़ी काटकर इस वर्षा जल तो तालाब तक पहुंचाने का रास्ता बनाया। वही खुदाई के दौरान निकली मिट्टी से बांध बनाकर पानी का रास्ता रोक दिया जिससे पानी की धारा मुड़कर तालाब तक पहुंचने लगी।

किरण कहती हैं कि हमें जब उन्होंने पहाड़ खोदकर पानी लाने की योजना गांव में बताई तो पूरे गांव खासकर पुरुषों द्वारा हमारा मजाक उड़ाया गया। यहाँ तक तक हमें परिवार से भी सहयोग नहीं मिला।

अगरोठा की यह घटना महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी। इसका परिणाम ये हुआ कि बुंदेलखंड के अन्य जिलों में भी पानी पंचायत का आयोजन किया जाने लगा। छतरपुर के भोयरा गांव की जल सहेली गंगा राजपूत को जल संरक्षण हेतु किए गए सराहनीय प्रयासों व कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।

जल सहेलियों के माध्यम से गांवों में किचन गार्डन की परंपरा को स्थान, जल निकासी की समस्या सुझाने के लिए सोखते का निमाज्ण, बछेड़ी नदी, खुड़र नदी समेत कई नदियों पर स्टॉप डैम व बोरी बंधन का काम व सैकड़ों गांवों में जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया। अबतक बुंदेलखंड में 2256 हेक्टेयर भूमि को 10.121 बिलियन लीटर पानी उपलब्ध कराने का काम जल सहेलियों ने किया है।

इस जल संरक्षण का फायदा सभी जाति-वर्गों को मिला। परिणामस्वरूप महिलाओं के साथ होने वाले जातीय भेद भाव में भी कमी आयी और कई मामलों में जल सहेलियों को इतना समर्थन मिला कि वे ग्राम प्रधान व जिला परिषद सदस्य के रूप में भी चुनी गईं।



खोज: नई तरह की लकड़ी, कार्बन स्टोर करने में कहीं ज्यादा है दक्ष

वैज्ञानिकों ने लकड़ी की एक पूरी तरह से नई किस्म की पहचान की है, जो न तो हार्डवुड न ही सॉफ्टवुड की श्रेणी में आती है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस लकड़ी की अनूठी संरचना इसे कार्बन स्टोर करने के मामले में कहीं ज्यादा दक्ष बनाती है। गौरतलब है कि यह खोज कैम्ब्रिज और जगियेलोनियन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। इस बारे में किए अपने नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दुनिया के कुछ प्रमुख वृक्षों और झाड़ियों की लकड़ी की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के नतीजे जर्नल न्यू फाइटोलॉजिस्ट में प्रकाशित हुए हैं।

रिसर्च से पता चला है कि ट्यूलिप के पेड़ों में यह अनोखी लकड़ी होती है। ट्यूलिप, मैग्नोलिया परिवार से सम्बन्ध रखता है। इनकी ऊंचाई 100 फीट से अधिक हो सकती है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि क्यों यह पेड़ पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम होने पर मैग्नोलिया परिवार से अलग हो गए थे। साथ ही क्यों यह वृक्ष तेजी से बढ़ते हैं और इतने अधिक ऊंचे होते हैं।

रिसर्च में शोधकर्ताओं ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बॉटनिक गार्डन के संग्रह में मौजूद 33 वृक्ष प्रजातियों की लकड़ी की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में देखा गया है कि सॉफ्टवुड (जैसे पाइन) और हाडवुड (ओक, ऐश, बर्च और यूकेलिप्टस) में लकड़ी की संरचना कैसे विकसित हुई। शोधकर्ताओं ने लकड़ी की भीतरी संरचना को समझने के लिए एक विशेष माइक्रोस्कोप क्रायो-एसईएम की मदद ली है। इसकी मदद से उन्होंने लकड़ी की द्वितीयक कोशिका भित्तियों की नैनोस्केल संरचना का चित्र लिया है और प्राकृतिक हाइड्रेटेड अवस्था में इसे मापा है।

क्यों कार्बन को स्टोर करने में इतने अच्छे होते हैं यह पेड़: सेन्सबरी प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोपी के कोर सुविधा

प्रबंधक डॉक्टर रेमंड वाइटमैन ने प्रेस विज्ञापि के हवाले से जानकारी देते हुए कहा है, हमने कोस्ट रेडवुड और वोलेमी पाइन जैसे प्रसिद्ध पेड़ों के साथ एंबोरेला ट्राइकोपोडा जैसे प्राचीन पौधों का भी अध्ययन किया है, जो अपने प्राचीन परिवार का अंतिम जीवित सदस्य है। यह अन्य फूल वाले पौधों से अलग विकसित हुआ था।

उनके मुताबिक शोध ने इस बारे में नई जानकारी प्रदान की है कि कैसे फूल वाले पौधों (एंजियोस्पर्म) और गैर-फूल वाले पौधों (जिम्नोस्पर्म) में लकड़ी और कोशिका भित्ति की संरचना अलग-अलग विकसित हुई। रिसर्च में सामने आया है कि एंजियोस्पर्म कोशिका भित्ति में मैक्रोफाइब्रिल नामक संकरी इकाया होती है जो एंबोरेला ट्राइकोपोडा पूर्वज से अलग होने के बाद उभरी है।

शोधकर्ताओं ने पाया कि प्राचीन लिरियोडेडोन वंश की दो शेष प्रजातियां ट्यूलिप और चीनी ट्यूलिप वृक्ष में उनके कठोर लकड़ी वाले रिस्तेदारों की तुलना में कहीं बड़े मैक्रोफाइब्रिल होते हैं।

रिसर्च से पता चला है कि कठोर लकड़ी वाले एंजियोस्पर्म मैक्रोफाइब्रिल का व्यास करीब 15 नैनोमीटर होता है, जबकि नर्म जिम्नोस्पर्म मैक्रोफाइब्रिल 25 नैनोमीटर के होते हैं। वहीं ट्यूलिप के पेड़ों में मौजूद मैक्रोफाइब्रिल की माप 20 नैनोमीटर के करीब होती है।

शोधकर्ताओं को यह भी लगता है कि इस मिडवुड में मौजूद बड़े मैक्रोफाइब्रिल इन पेड़ों को तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। लिजाकोव्स्की के मुताबिक ट्यूलिप के यह पेड़ कार्बन कैप्चर और उसे स्टोर करने में असाधारण रूप से कुशल माने जाते हैं। उनके बड़े मैक्रोफाइब्रिल उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से ऐसा करने में मदद कर सकते हैं, खासकर जब वायुमंडलीय कार्बन का स्तर कम हो। ऐसे में ट्यूलिप के पेड़ कार्बन कैप्चर में मददगार हो सकते हैं।



गाय- भैंसों को कैसे बचाएं दुग्ध ज्वर (मिल्क फीवर) से

- » डॉ. शिवम सिंह मेहरोत्रा
- » डॉ. आर.के. बधेरवाल
- » डॉ. हेमंत मेहता
- » डॉ. मुकेश शायक

पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय महु

दुग्ध-ज्वर गाय या भैंस में ब्यौने से कुछ समय पूर्व या बाद (24-48 घंटों) में होने वाली चयापचय संबंधी एक आम बीमारी है। दुग्ध-ज्वर तब होता है जब गायों के शरीर में कैल्शियम का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे उनके दूध उत्पादन में समस्या होती है। इससे पशु में कैल्शियम की कमी होती है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। शरीर में रक्त का बहाव काफी धीमा हो जाता है। अंततः पशु थक जाता है और बेहोश हो जाता है। पशु गर्दन और पेट मोड़ कर एक तरफ बैठा रहता है, पशु के शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है और शरीर ठंडा हो जाता है।

दुग्ध ज्वर अधिक दूध देने वाली गायों-भैंसों में 6 से 12 वर्ष की उम्र में तीसरे से सातवें व्യാत में ज्यादा देखने को मिलता है। गाय - भैंस के खून में सीरम कैल्शियम का औसत 10-12 मिलीग्राम प्रति डेसी-लीटर होता है। जब कैल्शियम 7 मिलीग्राम प्रति 100 मिग्रा. से कम हो जाता है, तो दुग्ध ज्वर के लक्षण दिखाई देते हैं। रक्त में कैल्शियम की कमी इसका कारण है। दो मुख्य कारणों से रक्त में कैल्शियम की कमी होती है।

व्याने के बाद कोलेस्ट्रम के साथ बहुत सारा कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है। कोलेस्ट्रम में रक्त से 12-13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। ब्यौने के बाद अचानक कोलेस्ट्रम (खीस) निकल जाने के बाद हड्डियों से शरीर को तुरंत कैल्शियम नहीं मिल पाता है।

व्याने के बाद यदि पशु को कम आहार दिया जाए दो अमाशय व आंत अपेक्षाकृत कम सक्रिय होने से कैल्शियम का अवशोषण काफी कम होता है। शरीर में मांसपेशियों में सामान्य तनाव बनाए रखने के लिए रक्त में कैल्शियम-मैग्नेशियम का अनुपात 6:1 होना चाहिए। सामान्य रूप से रक्त के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का स्तर 2:1 होता है।

लक्षण: दुग्ध ज्वर के लक्षणों को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है: प्रथम अवस्था: यह व्याने से पहले की उत्तेजित अवस्था है, जिसके लक्षण निम्नलिखित हैं। अधिक संवेदनशीलता, उत्तेजना, टेन्सस जैसे लक्षण, सिर को इधर-उधर हिलाना, जीभ बाहर निकालना और दांत किटकिटाना, शरीर में अकड़न, आशिक लकवा जिसके कारण पशु गिर जाता है। चारा-दाना नहीं खाना, तापमान सामान्य से थोड़ा बढ़ा हुआ।

द्वितीय अवस्था: पशु अपनी गर्दन को पिछले भाग की ओर मोड़कर निढाल सा बैठा रहता है, पशु खड़ा नहीं हो पाता है। शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। जिससे शरीर ठंडा पड़ जाता है। आंखें सुख जाती हैं। आँख की पुतली फैलकर बड़ी हो जाती है। आंखें झपकना बंद हो जाता है। अमाशय की गति काफी कम हो जाती है जिससे कब्ज होती है रक्त चाप कम हो जाता है।

तृतीय अवस्था: इस अवस्था में पशु लेटा रहता है, इसमें पशु



बेहोशी की हालत में आ जाता है। शरीर का तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है। नाड़ी अनुभव नहीं होती तथा हृदय ध्वनि भी सुनवाई नहीं पड़ती है हृदय गति बढ़कर 120 प्रति मिनट तक पहुँच जाती है पशु के बैठे रहने की वजह से अफारा (पेट फूलना) भी हो जाता है।

उपचार: दुग्ध-ज्वर का उपचार करने के लिए, आपको गायों को एक विशेष आहार देना चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा अधिक हो। इसके अलावा, आपको अपनी गायों की नियमित रूप से जांच करानी चाहिए। इसकी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा कैल्शियम की आपूर्ति करना होता है। इसे इंजेक्शन के रूप में शरीर में प्रवेश किया जाता है। इसके लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट को कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के रूप में दिया जाता है। रोग का स्पष्ट निदान जब ऐसे पशु को कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन सिरा में दिया जाता है और वह तत्काल स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह और समय रहते उपचार कराना चाहिए। क्योंकि यदि पशु एक बार तृतीय अवस्था में पहुँच जाता है तो मांसपेशियों में लकवा हो जाता है। इसके बाद पशु को बचाना काफी मुश्किल हो जाता है।

रोकथाम: दुग्ध-ज्वर के मामलों को रोका जा सकता है दुग्ध-ज्वर से बचाव करने के लिए, गायों को स्वस्थ आहार देना चाहिए और उनके दूध उत्पादन को नियंत्रित रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि गर्भावस्था के अंतिम चरण में गायों के आहार में मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा हो। शुष्क अवधि के दौरान कैल्शियम का सेवन 50 ग्राम/दिन से कम (आदर्श रूप से 20 ग्राम/दिन से कम) रखा जाना चाहिए ताकि कैल्शियम के अवशोषण और संचलन में सुधार हो सके।

हालांकि, ब्याने से ठीक पहले आहार में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाई जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जोखिम की अवधि के दौरान पर्याप्त कैल्शियम उपलब्ध रहे। इसके अलावा, आपको गाय- भैंसों की नियमित रूप से जांच करानी चाहिए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।

रिसर्च से पता चलेगा, मानव शरीर की गर्मी सहन करने की क्षमता

मानव कितनी अधिक से अधिक कितनी गर्मी सहन करते हुए जीवित रह सकता है? अब वैज्ञानिक इसे प्रयोगशाला में इस बात की सीमा तय करने की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रहे कि गर्मी में जीवित रहने की सीमा सोची गई सीमा से कम है। शोधकर्ता अत्याधुनिक जलवायु लैब का उपयोग करके यह पता लगा रहे हैं कि कब भीषण गर्मी से जीवन को सबसे अधिक खतरा पैदा होता है। शोधकर्ता लगातार अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर पर पड़ने वाले सबसे खतरनाक प्रभावों व जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य समस्याओं में किस तरह की वृद्धि हो रही है, आदि पर गहन शोध में जुटे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में फिजियोलॉजिस्ट ओली जे ने एक ऐसा कक्ष डिजाइन करना शुरू किया जो आज और भविष्य की गर्मी के थपेड़ों को सहन कर सके। 18 महीने बाद बने इस कक्ष का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन में किया गया है।

अब जे सहित शोधकर्ता इसका उपयोग अत्यधिक गर्मी में मानव अस्तित्व की सीमाओं का परीक्षण करने में जुटे हुए हैं। सिडनी विश्वविद्यालय में गर्मी और स्वास्थ्य प्रयोगशाला का निर्देशन करने वाले जे कहते हैं कि समस्या यह है कि आज आपके पास ऐसी परिस्थितियां हैं जो गर्म लग सकती हैं, लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते कि यह गर्मी लोगों पर क्या असर डालने वाली है। रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है कि उन परिस्थितियों का विश्लेषण करके और लोगों को उनके संपर्क में लाकर सावधानीपूर्वक चिकित्सा परीक्षण कर हम लोगों के शरीर विज्ञान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जे की टीम यह भी पता लगा रही है कि गर्मी के संपर्क में आने से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए कौन सी शीतलन रणनीतियां सबसे अच्छी कारगर साबित होंगी।

जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन पृथ्वी को गर्म कर रहा है, उसी तेजी से दुनिया भर में मौसम की रिपोर्ट में चिलचिलाती धूप वाले दिन का होना अब आम बात होते जा रही है। पिछले महीने दुनिया के सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड दो बार टूटा था और संयुक्त राष्ट्र ने अत्यधिक गर्मी पर कार्रवाई के लिए वैश्विक आह्वान तक किया था ताकि विज्ञान का उपयोग करके समाज के कमजोर लोगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं की मदद की जा सके। ध्यान रहे कि वैश्विक कार्यबल का लगभग 70 प्रतिशत यानी 2.4 अरब लोग वर्तमान में अत्यधिक गर्मी झेल रहे हैं। ऐसी भयावह स्थिति होने के बावजूद उच्च तापमान से निपटने के तरीके के बारे में सार्वजनिक रूप जारी होने वाली मौसम संबंधी चेतावनी का स्तर बेहद खराब है।

गर्भवती गाय और भैंस का दूध एंटीबॉडीज से भरपूर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक

गर्भवती गाय-भैंस का दूध फायदेमंद, सावधानी भी जरूरी

भोपाल। जगत गांव हमारे

देश के ग्रामीण अंचलों में गाय-भैंस पालने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है। इसका मुख्य कारण इससे मिलने वाला दूध है। यह हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि दूध के व्यापार से पशुपालकों को अच्छी आमदनी होती है। लेकिन जब गाय-भैंस गर्भवती होती हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जब गाय-भैंस गर्भवती होती हैं तो उसका दूध हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल कर पीना चाहिए। इससे सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पशुओं को बेहतर पोषक तत्व न देने से पशु के बच्चे पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के दौरान गाय और भैंस का दूध विटामिन, मिनरल्स, और प्रोटीन से भरपूर होता है। यह दूध उच्च गुणवत्ता वाला होता है और इसमें आवश्यक फैटी एसिड और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।

गर्भवती गाय और भैंस का दूध एंटीबॉडीज से भरपूर होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। इसे पीने से बच्चों और वयस्कों दोनों की इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। दरअसल, गर्भावस्था के दौरान, इन पशुओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, जो दूध की गुणवत्ता और उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में गाय और भैंस को ज्यादा से ज्यादा हरा चारा खिलाना चाहिए। वहीं अधिक दूध निकालने से पशु के शरीर पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही दूध निकाला जा सकता है। गर्भवती पशु को विशेष पोषक आहार दिया जाना चाहिए, जिससे उसके शरीर को आवश्यक पोषण मिले और दूध की गुणवत्ता बरकरार रहे। दूध निकालने से पहले पशु चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श लेना जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि दूध निकालने से पशु और उसके शिशु को कोई नुकसान न हो।

गर्भावस्था में बढ़ जाता है हार्मोन का स्तर

पशु विशेषज्ञ बताते हैं कि गर्भावस्था के दौरान पशु के दूध में हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है, जो कुछ लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए यह हार्मोनल दूध स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। गर्भावस्था के दौरान पशु का शरीर अपने शारीरिक विकास और बच्चे के लिए पोषण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस वजह से दूध की मात्रा कम हो सकती है, और अगर ज्यादा दूध निकाला जाता है, तो इससे पशु की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। गर्भवती पशु के लिए उसके गर्भस्थ शिशु को पोषण देना प्राथमिकता होती है। अगर इस समय अधिक दूध निकाला जाता है, तो यह शिशु के विकास और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।



प्रसव से पूर्व गाभिन पशुओं का रखरखाव

- » ब्याने के दो माह पूर्व दूध निकालना बंद करना चाहिए।
- » गाय-भैंसों को इस अवस्था में आकर वजन के अनुसार 1 से 1.5 किलोग्राम दाना (रखरखाव राशन के आलावा) प्रतिदिन देना चाहिए।
- » गायों को सुखाने के बाद थालों के छिद्रों पर जीवाणुरोधक घोल लगाना चाहिए।
- » ऐसी गायों को गर्भपात हुई गायों से दूर रखना चाहिए।
- » खनिज लवण की उचित मात्रा पशुओं को देनी चाहिए।
- » प्रति पशु लगभग 25-30 किलोग्राम हरा चारा रोज देना चाहिए। पशु को अफरा से बचाने के लिए दलहनी चारों के साथ भूसे की मात्रा पुरे आहार का एक चौथाई दी जाना चाहिए।
- » पशु के राशन में मक्का, जौ, गेहूं या अन्य अनाजों के दानों के साथ गेहूं का चोकर, तेलहनी फसल की खली, नमक, खनिज मिश्रण एवं दलहनी फसल की भूसी/खिलका होनी चाहिए।
- » पीने की साफ, स्वच्छ एवं पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
- » पशुओं को डरना, धमकाना दौड़ाना अथवा अन्य पशुओं से लड़ने देना नहीं चाहिए।
- » पशुओं से स्नेहपूर्वक, दयालुता से व्यवहार किया जाना चाहिए।

गर्भवती गाय-भैंस को क्या खिलाएं

दूध देने वाले पशुओं के आहार की बात करें तो उन्हें दलहनी चारे का मिश्रण खिलाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पांच लीटर दूध देने वाले पशुओं को केवल अच्छे प्रकार का हरा चारा खिलाकर दूध प्राप्त किया जा

सकता है। वहीं उससे अधिक दूध देने वाले पशुओं के आहार में चारे के साथ-साथ दाना और खली खिलाना चाहिए। इसके अलावा ब्यांत से कुछ दिनों पहले सामान्य खुराक में प्रतिदिन 100 मि.ली कैल्शियम का घोल पिलाएं। वहीं

पशुओं के ब्यांत के बाद आसानी से पचने वाला आहार खिलाएं, जिसमें गेहूं का चोकर, गुड़ और हरा चारा देना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान देना होता है कि पशुओं को उस समय ठंडा पानी नहीं पिलाना चाहिए।

जीव जगत के लिए अभिषप्त पौधा गाजर घास के प्रभावी प्रबंधन उपाय

डॉ. के.एस. यादव, डॉ. वैशाली शर्मा,
डॉ. एसके तिवारी, डॉ. ममता सिंह, मयंक मैहरा
कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर

गाजर घास एक ऐसा पौधा है जो सर्वत्र व्याप्त है। कृषि - अकृषि एवं अन्य खाली जगहों पर वर्षपर्यन्त दिखाई पड़ता है। यहा तक की वर्तमान में खेती में जो भी फसले बोई जाती है, उन सब में भी गाजर घास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी जहा कोई वनस्पति जीवित नहीं रह पाती है वहां पर भी गाजर घास का पौधा लहलहाता हुआ देखा जा सकता है। अतः कह सकते हैं कि प्रकृति में अत्यंत महत्वपूर्ण वनस्पतियों के अलावा कुछ वनस्पतियाँ ऐसी भी हैं, जो कि धीरे-धीरे एक अभिशाप का रूप लेती जा रही हैं गाजर घास उन में से एक प्रमुख पौधा है। बरसात का मौसम शुरू होते ही गाजर के तरह की पत्तियों वाली एक वनस्पति काफी तेजी से बढ़ने और फैलने लगती है। इसे 'गाजर घास', 'कांग्रेस घास' या 'चटक चाँदनी' आदि नामों से जाना जाता है यह वर्तमान में विश्व के सात सर्वाधिक हानिकारक पौधों में से एक है तथा इसे मानव एवं पालतू जानवरों के स्वास्थ्य के साथ-साथ सम्पूर्ण पर्यावरण के लिये अत्यधिक हानिकारक माना जा रहा है। गाजर घास का उपयोग अनेक प्रकार के कीटनाशक, जीवाणुनाशक और खरपतवार नाशक दवाइयों के निर्माण में किया सकता है। इसकी लुग्दी से विभिन्न प्रकार के कागज तैयार किये जा सकते हैं। बायोगैस उत्पादन में भी इसको गोबर के साथ मिलाया जा सकता है।

गाजर घास शाकीय पौधा है, जो 90 सेमी से लेकर एक मीटर तक ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां गाजर या गुलदाऊदी की पत्तियों की तरह होती हैं। इसमें सफेद रंग के छोटे-छोटे फूल लगते हैं। फूल और बीज हर मौसम में दिखाई पड़ते हैं एक से डेढ़ मीटर तक लम्बी गाजर घास के पौधे का तना रोयेदार अत्यधिक शाखा युक्त होता है। इसकी पत्तियां असामान्य रूप से गाजर की पत्ती की तरह होती हैं। इसके फलों का रंग सफेद होता है। प्रत्येक पौधा 1000 से 50000 अत्यंत सूक्ष्म बीज पैदा करता है, जो शीघ्र ही जमीन पर गिरने के बाद प्रकाश और अंधकार में नमी पाकर अंकुरित हो जाते हैं। यह पौधा 3-4 माह



में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है और वर्ष भर उगता और फलता फूलता है। यह हर प्रकार के वातावरण में तेजी से वृद्धि करता है। इसका प्रकोप खाद्यान्न, फसलों जैसे धान, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मटर तिल, अरंडी, गन्ना, बाजरा, मूंगफली, सब्जियों एवं उद्यान फसलों में भी देखा गया है। इसके बीज अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, जो अपनी दो स्पंजी गह्वियों की मदद से हवा तथा पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं। जब यह घास एक स्थान पर जम जाती है तो अपने आसपास किसी अन्य पौधे को जमने नहीं देती। गाजर घास से मनुष्यों में त्वचा संबंधी रोग, एगिजमा, एलर्जी, दमा जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दमा के रोगियों के लिए गाजर घास के फूलों से निकलने वाले परागकण काफी नुकसानदेह होते हैं। इसलिए घर के आसपास या खेतों में इसके फैलाव को रोकना जरूरी है। यह घास पशुओं के लिए भी हानिकारक है। दुधारू पशुओं के चारे में इसकी मिलावट होने से दूध में कड़वापन आता है।

इसकी रोकथाम के लिए यांत्रिक, रासायनिक एवं जैविक विधियों का उपयोग किया जाता है। गैरकृषि क्षेत्रों में इसके नियंत्रण के लिए शाकनाशी रसायन एट्राजिन का प्रयोग फूल आने से पूर्व 1.5 किग्रा सक्रिय तत्व प्रति हैक्टेयर पर उपयोग किया जाना

चाहिए। ग्लायफोसेट 2 किग्रा सक्रिय तत्व प्रति हैक्टेयर और मैट्रीब्यूजिन 2 किग्रा तत्व प्रति हैक्टेयर का प्रयोग फूल आने से पूर्व किया जाना चाहिए। जैविक विधियों में मैक्सिकन बीटल (एक तरह का कीड़ा) का प्रयोग करें। यह कीड़े इन पौधे को खाकर नष्ट कर देते हैं। घर के आस-पास एवं संरक्षित क्षेत्रों में गंदे के पौधे लगाकर गाजरघास के फैलाव व वृद्धि को रोका जा सकता है। अक्टूबर-नवम्बर में अकृषि क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक पौधे जैसे चकौड़ा (कैसिया सिरेसिया या कैसिया तोरा) के बीज एकत्रित कर उन्हें फरवरी-मार्च में छिड़क देना चाहिए। यह वनस्पतियां गाजरघास की वृद्धि एवं विकास को रोकती हैं वर्षा आधारित क्षेत्रों में शीघ्र बढ़ने वाली फसलें जैसे डैचा, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की फसलें लेनी चाहिए। अकृषि क्षेत्रों में शाकनाशी रसायन जैसे ग्लायफोसेट 1.0-1.5 प्रतिशत या मैट्रीब्यूजिन 0.3-0.5 प्रतिशत घोल का फूल आने के पहले छिड़काव करने से गाजरघास नष्ट हो जाती है। ग्रीष्म एवं शरद ऋतु में अकृषि क्षेत्रों में अंकुरित होने पर कुछ बड़वार करने के बाद पानी न मिलने के कारण इनका विकास नहीं हो पाता है पर वर्षा होने पर यही पौधे शीघ्र बढ़कर बीजों का उत्पादन कर देते हैं। अतः ऐसे समय इन्हें शाकनाशियों द्वारा नष्ट करना

चाहिए। गाजर घास से जैविक खाद बनाकर पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है। किसान इसके जरिए अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। इससे बनी कंपोस्ट में मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा गोबर खाद से दोगुनी तथा केचुआ खाद के बराबर होती है। गाजर घास के उपयोग से कंपोस्ट का निर्माण जैविक खेती का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसे फसलों में इस्तेमाल कर और बेचकर अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। गर्म मौसम में अच्छी कंपोस्ट तैयार होने के लिए चार से पांच माह का समय लगता है, जबकि ठंडे मौसम में अधिक समय लग सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र सागर में दिनांक 16 से 22 अगस्त 2024 तक गाजरघास जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसके अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गंजबासोदा, कृषि स्नातक के अंतिम वर्ष की 15 छात्राओं ने ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव में अंगीकृत गांव रातोना में रैली निकाली एवं किसानों को गाजरघास से कृषि विज्ञान केन्द्र के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र के चिकित्सकों ने डॉ. के.एस. यादव के मार्गदर्शन में किसानों को प्रशिक्षण, किसान संगोष्ठी, समूह चर्चा आदि माध्यमों से किसानों को गाजर घास के दूष प्रभावों से अवगत कराकर इसके प्रबंधन के लिए जागरूक किया गया।

गाजरघास जागरूकता सप्ताह: दुधारु पशुओं के दूध में कड़वाहट के साथ-साथ उत्पादन में भी आ जाती है कमी वैज्ञानिकों ने बताया कैसे गाजरघास से बनाएं कम्पोस्ट खाद

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बी.एस. किरार, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. यू.एस. धाकड़, डॉ. सतेन्द्र कुमार, डॉ. एसके जाटव, डॉ. आईडी सिंह, हंसनाथ खान, जयपाल छिगारहा, मनोहर चदार एवं रावे छात्र कृषि कॉलेज, खुरई सागर आदि के द्वारा गाजरघास जागरूकता सप्ताह 16-22 अगस्त 2024 तक कार्यालय परिसर में मनाया गया। कृषक भवन और चयनित गांव मिनोरा, कोडिया, महोबिया, आदि गांव के किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि गाजरघास के पौधे को शुरू की अवस्था में निकालकर कम्पोस्ट खाद बना सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेश आदि पोषक तत्व गोबरखाद से ज्यादा पाए जाते हैं।

कम हो जाती है 40 फीसदी पैदावार

गाजर घास द्वारा खाद्यान्न फसलों की पैदावार में लगभग 40 फीसदी तक की कमी आती गई है। पौधे में सेस्क्वटरपिन लैक्टोन नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, जो फसलों के अंकुरण एवं वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसी प्रकार गाजरघास पशुओं के लिए भी अत्यधिक विषाक्त होता है। इसके खाने से पशुओं में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, जिससे दुधारु पशुओं के दूध में कड़वाहट के साथ-साथ दूध उत्पादन में भी कमी आने लगती है।



कई बीमारियों को जन्म देती है गाजरघास

गाजरघास का पौधा लगभग 3-4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। यह पौधा प्रकाश एवं तापमान के प्रति उदासीन होता है। यह पौधा पूरे वर्ष भर उगाता एवं फ रहता है। गाजरघास के लगातार सम्पर्क में आने से मनुष्यों में डरमेटाइटिस, एलर्जी, बुखार, दमा, आदि जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। गाजरघास के नियंत्रण के शाकनाशियों रसायनों में एट्राजिन, एलाक्लोर, डाइयूरान, मेट्रीब्यूजिन, 2,4-डी, आदि का छिड़काव करना चाहिए। यदि मेड, मैदान, सड़क के किनारे में गाजरघास के साथ सभी प्रकार की वनस्पतियों को नष्ट करने के लिए चयनित रासायनिक दवा का छिड़काव करें और केवल गाजरघास को नष्ट करने के लिए मेट्रीब्यूजिन 0.3 से 0.5 का घोल बनाकर छिड़काव करें। जैविक नियंत्रण अंतगर्त मैक्सिकन बीटल (जाइकोग्रामा बाइकोलोराटा) नामक केवल गाजरघास की पत्तियों को खाकर चट कर जाता है। जिन स्थानों पर गाजरघास की समस्या ज्यादा रहती है, वहाँ पर चकोड़ा / चरोटा / पॉवार (कैसिया टोरा) के बीजों को बिखरे दें, जिससे गाजरघास की वृद्धि एवं पौध संख्या प्राकृतिक रूप से नियंत्रित हो जाती है।

किसानों को गाजरघास को नष्ट करने के तरीकों से अवगत कराया गया

गाजरघास उन्मूलन और उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया

नरसिंहपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र, नरसिंहपुर द्वारा गत दिवस गाजरघास उन्मूलन सप्ताह का आयोजन विकासखंड करेली, नरसिंहपुर एवं गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में मनाया गया। करेली में कार्यक्रम के समय ग्राम मोहद, बटेसरा, कनवास, सूखाखैरी ग्राम के किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक डॉ. एसआर शर्मा द्वारा जानकारी दी गई। विकासखंड नरसिंहपुर में ग्राम सुपला, खमरिया, धमना के कृषकों को गाजरघास से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ-ही उसके उन्मूलन के बारे में भी बताया गया।



पशुओं के लिए नुकसानदायक गाजरघास

गाजरघास मनुष्य ही नहीं पशुओं के लिए भी हानिकारक है मनुष्यों में अस्थिमा, दाद-खाज-खुजली के साथ ही श्वसन संबंधी अन्य बीमारियों को पैदा करता है जबकि पशुओं में तमाम तरह की बीमारियाँ गाजरघास खाने से होती हैं। गाजरघास के फूल में असंख्य बीजाणु होते हैं जो हवा के साथ वातावरण को प्रभावित करते हैं और जाने-अनजाने में श्वसन क्रिया द्वारा मनुष्य के अंदर प्रवेश कर फेंफड़ों को भी प्रभावित करते हैं। जैसा विदित है कि गाजरघास को कांशेय घास भी कहते हैं। अनजाने में विदेशों से आने वाले गेहूँ में मिल करके अपने देश में प्रवेश किया है। गाजरघास की इस समय देश में व्यापकता उसी तरह से है जैसे किंगत वर्णों में इपोमोआ कार्नेया (बेहया/बेशरम) का पौधा था जो लगातार प्रयासों के उपरांत देश से खत्म हो गया। इसी प्रकार यदि हम मानव और पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहते हैं तो गाजरघास को समूल नष्ट करना अतिआवश्यक है। प्रकृति में चकौड़ा का पौधा गाजरघास के उन्मूलन में बहुत-ही कारगर साबित हुआ है गाजरघास से खाद बनाने का प्रथम प्रयास कर्नाटक में किया गया जो सहायक रहा।

गाजरघास में फूल आने से पहले उखाड़कर नष्ट करें

गोबर की 6-9 इंच की परत के उपर फूल रहित गाजरघास के पौधे को रखें एवं पुनः गोबर की परत लगायें ये प्रक्रिया 6-8 सतह तक करें जिससे गाजरघास गोबर की खाद में मिलकर विषेय तत्वों सहित खाद बन जाता है जो फसलों के लिए लाभदायक होता है लेकिन यह ध्यान रहे कि फूल आने के बाद कभी-भी गाजरघास का प्रयोग खाद बनाने में न करें। गाजरघास को मैक्सिकन बीटल (जाइकोग्रामा बैकोलोराटा) समूल नष्ट करने में सक्षम है मैक्सिकन कीट गाजरघास के फूल, पत्तियों, कोमल टहनियों को खा कर पूरे पौधे को नष्ट कर देती है यह कीट भा.क.अ.प. - खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। अनुपयोगी भूमि पर गाजरघास की बहुलता होती है अतः इसके नियंत्रण के लिए चकौड़ा घास के बीज डालें जो जमा उपरांत गाजरघास को नष्ट कर देता है। गाजरघास के उन्मूलन के लिए 250-500 ग्राम/15 ली. पानी में घोल बनाकर छिड़काव भी लाभदायक पाया गया है।

दलहनी एवं तिलहनी फसलों को अधिक वर्षा से होने वाली हानि से कैसे बचाएं

टीकमगढ़।

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. बी.एस. किरार, वैज्ञानिक डॉ. एस.के. सिंह, डॉ. यू.एस. धाकड़ एवं डॉ. एस.के. जाटव द्वारा दलहनी एवं तिलहनी फसलों को अधिक वर्षा की स्थिति में होने वाली हानि से बचाने के लिए समसमायिकी सलाह दी। वर्तमान में उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल एवं मूंगफली में फलियाँ बनाना एवं दाना भरना शुरू हो गया है। वर्तमान में खेत की फसल में ज्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए। किसान भाई अपनी फसलों का नियमित अवलोकन करें और जिन खेतों में वर्षा का पानी भरता है, उनमें जल निकास के लिए नालियाँ बना दें। उड़द, मूंग एवं सोयाबीन फसल में पीला रोग ग्रसित पौधे दिखाई दें, तो उन्हें तुरंत खेत से निकाल कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। जिससे वायरस ग्रसित पौधों से रस चूसक कीट सफेद मक्खी वायरस को दूसरे स्वस्थ पौधों पर न फैला सके। इस समय उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली फसलों में पत्ती / फली छेदक इल्लियों, सेमीलूपर इल्लि (अर्ध कुडलक इल्लि) और चूसक कीटों जैसे माहू, जैसिड, सफेद मक्खी आने की संभावना बढ़ जाती है।

एवसदृद्ध53घसदृद्ध

वर्तमान में उड़द, सोयाबीन की फसल में सेमीलूपर कीट एवं चने की इल्ली पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती हैं, जिसे अनिगिनत संख्या में इल्ली तैयार हो जाती हैं, जो पत्ती का हरा भग खा कर सफेद छलनी कर देती हैं। ऐसी स्थिति में इनके नियंत्रण हेतु पूर्व मिश्रित दवाएं जैसे वलोरएक्टानिलिप्रोल 9.30प्रतिशत + लेम्बडा साइहलोथिन 9.50प्रतिशत जेड.सी. या थियामेथोक्सम 12.60प्रतिशत + लेम्बडा साइहलोथिन 9.50प्रतिशत जेड.सी. 60 मिली या बीटा-साइप्रुथिन + इमिडाक्लोप्रिड 150 मिली की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। लगातार वर्षा होने से उड़द, सोयाबीन एवं तिल फसलों में पीला विषाणु रोग, पत्ती धब्बा रोग (सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट) और एन्थ्रेकनोज बीमारी भी आने की संभावना बढ़ जाती है, यदि फसलों में इन बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं तो इस रोग के विषाणु को गसित पौधों से दूसरे स्वस्थ पौधों पर फैलाने का कार्य सफेद मक्खी करती है। पूर्व में दर्शायी पूर्व मिश्रित दवाओं को प्रयोग भी कर सकते हैं

किसानों के साथ आमजन को किया जागरूक किसान गेंदे के पौधे लगाकर गाजरघास के फैलाव और वृद्धि को रोक सकते हैं

शिवपुरी। जागत गांव हमार

गाजरघास जागरूकता सप्ताह शुभारंभ एवं प्रदर्शन कार्य कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी परिसर में किया गया। इसी के साथ-साथ रेडियेंट कॉलेज शिवपुरी छात्र-छात्राओं, स्टाफ तथा सीआरपीएफ के जवानों की सहभागिता में गाजरघास के बारे में विस्तार से बतलाते हुये उन्मूलन के लिये समन्वित प्रबंधन के उपायों से अवगत कराया तथा साथ ही प्रदर्शन भी किया गया।



एनजीओ (शक्तिशाली महिला संगठन समिति) के प्रसार कार्यकर्ताओं को गाजरघास के बारे में जानकारी जनमानस तक पहुंचाने के लिये बतलाई गई। गाजरघास जागरूकता अभियान का समापन ग्राम तानपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कृषि संकाय के साथ-साथ अन्य छात्र-छात्राओं, अध्यापकों, ग्रामीणों की सहभागिता में जागरूकता के बारे में विस्तार से बताते हुए अवगत कराया। साथ ही विद्यालय परिसर से ग्राम तानपुर में जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस अभियान में कुल सहभागिता 283 रही।

बैतूल। कृषि विज्ञान केंद्र, बैतूल में स्वच्छ भारत गाजरघास जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की गईं। एक सप्ताह कृषि विज्ञान केंद्र, बैतूल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और गाजर घास उन्मूलन किया गया। मिलानपुर में छात्र, छात्राओं शिक्षक एवं ग्रामवासियों के साथ स्कूल के आसपास के प्रांगण गाजरघास निकाली गई। केंद्र के प्रमुख डॉ. व्हीके वर्मा, ने कृषकों को समझाया कि वर्षा ऋतु में गाजरघास को फूल आने से पहले जड़ से उखाड़कर कम्पोस्ट एवं वर्मी कम्पोस्ट बनाना चाहिए एवं किसान अपने-अपने भवन के आसपास गेंदों के पौधे लगाकर गाजरघास के फैलाव व वृद्धि को रोका जा सकता है। दुधारु पशुओं का गाजरघास सेवन करने से दुग्ध में आवर्द्धित महक आती है। उपरोक्त गतिविधियों में कृषि विज्ञान केंद्र, बैतूल के वैज्ञानिक, डॉ. संजीव वर्मा ने गाजरघास से होने



वाले नुकसान जैसे त्वचा संबंधी बीमारी, एलर्जी एवं दमा आदि बीमारियों के बारे में बताया। बचाव के रूप में रासायनिक विधि जैसे ग्लायफोसेट 1.5-2.0 प्रतिशत फूल आने से पहले छिड़काव करें। मैक्सिन बीटल नामक कीट कों वर्षा ऋतु में गाजर घास पर छोड़ने हेतु कृषकों को प्रेरित किया। डॉ. एमपी इंगले द्वारा फसलों पर दुष्प्रभाव एवं नियंत्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं उन्हे जागरूक बनाने का आह्वान किया। ग्राम बैतूलबाजार में सामुदायिक भवन के आसपास के क्षेत्र को गाजरघास मुक्त किया।



रोगरोधी किस्म होने के कारण दवाओं का छिड़काव नहीं करना पड़ता

अच्छी उपज-बेहतर कमाई के लिए अनुकूल है चने की ये नई किस्में

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों के लिए चना की खेती काफी फायदेमंद मानी जाती है। इसकी खेती में अच्छा उत्पादन करके किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। रबी सीजन में इसकी खेती की जाती है और यह एक प्रमुख दलहन फसल मानी जाती है। हाल के दिनों में इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए अधिक किसान इसकी खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। चना की खेती में होने वाले फायदों को देखते हुए किसानों के इससे अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इसकी नई वेरायटी विकसित की गई है। यह दोनों ही किस्में अच्छी पैदावार देती हैं और किसान आगामी रबी सीजन में इसकी खेती कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम किसान इन दोनों ही किस्मों की खेती कर सकते हैं। इन दोनों ही किस्मों की खासियत यह है कि यह रोगरोधी किस्में हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और रोग लगने से फसल को अधिक नुकसान नहीं होता है। इससे किसान अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। रोगरोधी किस्म होने के कारण दवाओं का छिड़काव नहीं करना पड़ता है, इससे किसानों के खर्च में बचत होती है।

चना पंत ग्राम 10 (पीजी 265) चना की एक बेहतरीन नई वेरायटी है। इनकी खेती के बाद जो बीज प्राप्त होता है, किसान उसकी भी रोपाई करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। चना की इस खास किस्म को आईसीएआर-एआईसीआरपी ऑन पल्सेस जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। चना की इस किस्म को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के किसानों के लिए तैयार किया गया है। रबी सीजन में बुवाई के लिए यह किस्म काफी अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती के लिए हल्की सिंचाई की जरूरत होती है।

चना पंत ग्राम 10 (पीजी 265) की पैदावार

चने की इस किस्म की अवधि 130 दिनों की होती है। यह एक लंबी अवधि वाली किस्म है। अगर इसकी पैदावार की बात करें तो चना पंत ग्राम 10 (पीजी 265) किस्म की खेती करके किसान प्रति हेक्टेयर औसतन 17.79 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। जबकि अधिकतम पैदावार 20-21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ली जा सकती है। यह किस्म रोगरोधी होती है और इसमें विल्ट, कॉलर रॉट, बौनापन जैसे रोग ना के बराबर होते हैं। साथ ही फली छेदक कीट के प्रति भी यह सहनशील पाई गई है।

चना नांदयाल ग्राम 1267

चना नांदयाल ग्राम 1267 की इस किस्म को आईसीएआर-एआईसीआरपी ऑन पल्सेस मुख्य केंद्र आरएआरएस नंदयाल और आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। इस किस्म को मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के किसानों के लिए तैयार किया गया है। चना के इस किस्म की खेती वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। हालांकि एक दो सिंचाई करके भी किसान इससे उपज हासिल कर सकते हैं। यह छोटी अवधि की किस्म है, इसे तैयार होने में 90-95 दिनों का समय लगता है। इस किस्म में प्रोटीन का मात्रा अधिक होती है। इसलिए बाजार में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। इस किस्म की खेती करके किसान प्रति हेक्टेयर औसतन 20.95 क्विंटल तक का उत्पादन हासिल कर सकते हैं। जबकि अधिकतम पैदावार 22 क्विंटल तक किसान ले सकते हैं।

रहें सावधान! भिंडी की फसल को बर्बाद कर देती है सफेद मक्खी

भोपाल। जागत गांव हमार

भिंडी न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में बड़े ही चाव से खाई जाने वाली सब्जी है। इसे कुछ देशों में लेडी फिंगर तो कुछ देशों में ओकरा के नाम से भी जाना जाता है। भिंडी स्वादिष्ट होने के अलावा कई तरह के पौष्टिक तत्वों से भी भरपूर है। भिंडी में मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के साथ कई मिनिरल्स जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन-ए, रिबोफ्लेविन और थाइमिन पाए जाते हैं। कई विशेषज्ञों की मानें तो भिंडी की फलियों में आयोडीन और आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। इसकी खेती देश के लगभग हर हिस्से में प्रमुखता से की जाती है जिसमें हरी भिंडी के साथ लाल भिंडी का भी रोल है। हालांकि भिंडी की खेती में किसानों को सबसे अधिक सफेद मक्खी और उसके वायरस से सावधान रहना पड़ता है क्योंकि इससे फसल का भारी नुकसान होता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये सफेद मक्खी कीट जो भिंडी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है।



50 फीसदी तक फसल का नुकसान

किसान भिंडी पर लगने वाली सफेद मक्खी से काफी परेशान रहते हैं। ये मक्खी अक्सर भिंडी की फसल को चौपट कर देती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार भिंडी पर लगने वाली सफेद मक्खियां एलेरोडिडे परिवार से जुड़ी होती हैं और ये रस-चूसने वाले कीड़े हैं। सफेद मक्खी आमतौर पर सफेद या हल्के पीले रंग की नजर आती है और उनके चार पंख ढंके हुए होते हैं। सफेद मक्खी गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और पत्तियों के नीचे की तरफ इकट्ठा होती है। सफेद मक्खियां पौधे का रस चूस लेती हैं और इस वजह से पौधा कमजोर हो जाता है। सफेद मक्खी की वजह से किसानों को भिंडी की फसल में 10 फीसदी से 50 फीसदी तक का नुकसान हो सकता है।

कैसे रोके सफेद मक्खी का प्रकोप

कृषि विशेषज्ञों की मानें तो सफेद मक्खी के वायरस को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इन्हें रोकने के लिए ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट पर यकीन करना बेहतर रहेगा। उनका कहना है कि सफेद मक्खी के प्रकोप की शुरुआत में कीटनाशक का प्रयोग प्रभावशाली रहता है। लेकिन धीरे-धीरे सफेद मक्खी में हर कीटनाशक के लिए इम्युनिटी डेवलप हो जाती है।

सफेद मक्खी को खत्म करने के लिए एसेटेमिप्रिड 20 एसपी केमिकल का 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दो छिड़काव इसके वायरस को कम करने में कारगर हो सकते हैं। साथ ही खेत को हमेशा खरपतवार से मुक्त रखना जरूरी है। भिंडी में फूल आने से पहले और फूल आने के बाद मैलाधियान 50 ईसी एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करने से रोग के प्रकोप को

कम किया जा सकता है। डायमेथेएट 2 मिलीलीटर/लीटर या नीम ऑयल 5 मिलीलीटर/लीटर या एसिटमिप्रिड 2 ग्राम /लीटर दवा को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। साथ ही जरूरत पड़ने पर 10 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 बार छिड़काव करना चाहिए। साइपरमेथिन या डेल्टामेथिन का छिड़काव इस रोग के प्रकोप को कम करने के लिए न करें क्योंकि इसके प्रयोग से रोग बढ़ता है।

नियंत्रण के लिए पीला चिपचिपा ट्रेप लगाएं

पीला मोजेक से सोयाबीन, उड़द की फसल को बचाएं

झाबुआ। जागत गांव हमार

कलेक्टर नेहा मीना के मार्गदर्शन में फसलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला स्तरीय दल एनएस रावत, उप संचालक कृषि जिला झाबुआ के साथ एलएस चारेल अनुविभागीय अधिकारी कृषि झाबुआ, हीरा सिंह चौहान, संतोष मौर्य, एमएस धार्वे सहायक संचालक कृषि एवं संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं मैदानी अमले द्वारा जिले में सोयाबीन, धनिया, कपास फसल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आंशिक रूप से कीट व्याधि प्रकोप देखा गया। जिसके प्रकोप नियंत्रण हेतु कृषकों को उपयोगी समसामयिक सलाह दी गई।

खेत में सोयाबीन, उड़द की फसल में पीला मोजेक के प्रकोप के नियंत्रण के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही अपने-अपने खेत में जगह-जगह पर पीला चिपचिपा ट्रेप लगाएं, जिससे इसका संक्रमण फैलाने वाली सफेद मक्खी के नियंत्रण में सहायता मिले। साथ ही पीला मोजेक ग्रस्तित पौधे को अपने



खेत से निकाल कर नष्ट करें। कुछ क्षेत्रों में लगातार हो रही रिमझिम वर्षा की स्थिति में पत्ती खाने वाली इल्लियों के नियंत्रण के लिए इन्डोक्साकार्ब 333 एमएल प्रति हेक्टेयर या लेम्बडा साईहेलोथ्रिन 4.9

सीएस 300 एमएल प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। सोयाबीन, कपास की फसल में फफूंद जनित एन्थेक्नोज तथा राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट नामक बीमारी का प्रकोप होने पर टेबुकोनाजोल

625 एमएल प्रति हेक्टेयर या टेबुकोनाजोल सल्फर 1 किग्रा प्रति हेक्टेयर या हैक्साकोनाजोल 5 प्रतिशत ईसी 800 एमएल प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करें। तम्बाकू की इल्ली एवं पत्ते खाने वाली इल्लियों तथा रस चूसने वाले कीट जैसे सफेद मक्खी/जैसिड एवं तनाछेदक एवं गर्डलबिटल कीट के एक साथ नियंत्रण के लिए थायोमिथोक्सम 12.6 लेम्बडा सायहेलोथ्रिन 9.5 प्रतिशत जेड सी (125 मि.ली/हेक्टेयर) या बीटासायफ्लूथ्रिन इमिडाक्लोप्रिड (350 मिली / हेक्टेयर) का छिड़काव करें। मक्का फसल में फॉल आर्मीवर्म के नियंत्रण हेतु क्लोरोपायरीफास 20 ईसी या ईमामेक्विन बेन्जोएट 5 ईसी 4 ग्राम/10 मिली या थायोमिथोक्सम लेम्बडा सायहेलोथ्रिन 0.5 एमएल प्रति लीटर पानी में उचित घोल बनाकर छिड़कें। कपास में रस चूसक कीट एफिड का प्रकोप होने पर एसीटासिप्रिड दवा का 10 मिली प्रति स्प्रे पंप के मान से घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छग, राजस्थान को फायदा किसानों को बेहतर उपज, लवणीयता सहनशीलता, और विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में सफल उत्पादन का अवसर

किसानों के अच्छे दिन! भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने लॉन्च की मक्का की छह नई किस्म

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मक्के की 6 नई किस्में विकसित की हैं, जो भारतीय किसानों के लिए कृषि उत्पादन में एक नई क्रांति साबित हो सकती हैं। इन नई किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में विकसित किया गया है। इन किस्मों को देश के विभिन्न राज्यों के लिए अनुकूलित किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर उपज, लवणीयता सहनशीलता, और विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में सफल उत्पादन का अवसर मिलेगा।

पूसा पॉपकॉर्न हाइब्रिड: 1 (एपीसीएच 2)- मक्का की इस हाइब्रिड किस्म को आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने पंजाब हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड (मैदानी), उत्तर प्रदेश (पश्चिमी क्षेत्र), महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए विकसित किया है। इस किस्म की खासियत है की यह सिंचित रबी पारिस्थितिकी के लिए उपयुक्त है और इसकी उपज: 46.04 क्विंटल/हेक्टेयर (एनडब्ल्यूपीजेड), 47.17 क्विंटल/हेक्टेयर (पीजेड)। इस किस्म की मैच्योरिटी 120.2 दिन (एनडब्ल्यूपीजेड), 102.1 दिन (पीजेड) की है। उच्च पोषण प्रतिशत (एनडब्ल्यूपीजेड में 97.3 प्रतिशत और 98.3 प्रतिशत पीजेड) और पोषण विस्तार अनुपात (18)। यह किस्म चारकोल सड़न के लिए मध्यम प्रतिरोधी है।



पूसा बायोफोर्टिफाइड मक्का हाइब्रिड 4 (एपीएच4)

मक्का की किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड (मैदान), उत्तर प्रदेश (पश्चिमी क्षेत्र), महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए विकसित किया है। इस किस्म की खासियत है की यह खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त है और इसकी उपज 84.33 क्विंटल/हेक्टेयर (एनडब्ल्यूपीजेड), 71.13 क्विंटल/हेक्टेयर (पीजेड), 56.58 क्विंटल/हेक्टेयर (सीडब्ल्यूजेड)। इस किस्म की मैच्योरिटी 79.8 दिन (एनडब्ल्यूपीजेड), 93.9 दिन (पीजेड), 86.4 दिन (सीडब्ल्यूजेड) की है। प्रोविटामिन-ए (6.7 पीपीएम), लाइसिन (3.47 प्रतिशत) और ट्रिप्टोफैन (0.78 प्रतिशत) से भरपूर यह किस्म एमएलबी, बीएलएसबी, टीएलबी के लिए मध्यम प्रतिरोधी प्रतिरोधी है।

पूसा एचएम4 मेल स्टेराइल बेबी कॉर्न-2 (एबीएसएच 4-2)

मक्का की इस बेबीकॉर्न किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश (पूर्वी क्षेत्र), पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए विकसित किया है। इस किस्म की खासियत है की यह खरीफमौसम के दौरान सिंचित स्थितियों के लिए उपयुक्त है और इसकी उपज 19.56 क्विंटल हेक्टेयर (एनईपीजेड), 14.07 क्यू/हेक्टेयर (पीजेड) और 16.03 क्यू/हेक्टेयर इस किस्म की मैच्योरिटी 53 दिन, 100 प्रतिशत पुरुष बांझपन, कोई परागकोश का परिश्रम नहीं। यह किस्म चारकोल सड़न के लिए मध्यम प्रतिरोधी है।

आईएमएच 230 आईएमएचएसबी 20आर-6

मक्का की इस किस्म को भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, लुधियाना, पंजाब ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लिए विकसित किया है। इस किस्म की खासियत है की यह सिंचित रबी मौसम के लिए उपयुक्त है और इसकी उपज 92.36 क्विंटल/हेक्टेयर है। इस किस्म की मैच्योरिटी 145.2 दिन की है और यह किस्म जैविक तनाव, एमएलबी, सीएचआर और टीएलबी के लिए मध्यम प्रतिरोधी, चिलोपार्टेलस, फॉल आर्मीवर्म के प्रति मध्यम सहनशील है।

आईएमएच 231 आईएमएचएसबी 20के-10

मक्का की इस किस्म को भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, लुधियाना, पंजाब ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम के लिए विकसित किया है। इस किस्म की खासियत है की यह खरीफ सिंचित स्थिति के लिए उपयुक्त है और इसकी उपज 70.28 क्विंटल/हेक्टेयर है। इस किस्म की मैच्योरिटी 90 दिन की है और यह किस्म जल भराव के प्रति मध्यम सहिष्णु, आवास के प्रति सहिष्णु, टीएलबी, एमएलबी के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, के प्रति प्रतिरोधी है।

पूसा पॉपकॉर्न हाइब्रिड: 2 (एपीसीएच 3)

अंत में मक्का की इस किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के लिए विकसित किया है। इस किस्म की खासियत है की यह सिंचित रबी मौसम के लिए उपयुक्त है और इसकी उपज 45.13 क्विंटल/हेक्टेयर है। इस किस्म की मैच्योरिटी 102 दिनकी है। ये किस्म टीएलबी के लिए मध्यम प्रतिरोधी है।

पूर्व विधायक के प्रस्ताव पर सरकार ने जारी किया आदेश मप्र में आवारा नहीं कहे जाएंगे सड़क पर घूमने वाले मवेशी

भोपाल। जागत गांव हमार

भोपाल। पशुओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सड़क पर छुट्टा घूमने वाले पशुओं को आवारा नहीं कहा जाएगा। ऐसे पशुओं को अब निराश्रित कहा जाएगा। उत्तर भारत में ऐसे पशुओं की समस्या बड़ी है, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां आवारा जानवरों को लेकर राजनीति भी होती रही है। बीते विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा भी बना था। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं को निराश्रित पशु बोलने का आदेश जारी किया है। यहां निराश्रय का अर्थ है जिसका कोई आसरा या आश्रय नहीं हो। भाजपा के पूर्व विधायक के प्रस्ताव को मानते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बाबत आदेश जारी किया है। पूर्व विधायक ने लिखा-मवेशियों में गाय भी होती है और गौ माता को आवारा कहना कदापि उचित नहीं है, इस बात को लेकर मैंने 18 अगस्त 2024 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में संशोधन का आग्रह मुख्यमंत्री मोहन यादव से किया था। विषय की गंभीरता को लेकर संवेदनशील मुख्यमंत्री ने आदेश को संशोधित करते हुए आवारा की जगह निराश्रित मवेशी करवा दिया है। इसके लिए मैं हृदय से आभार से व्यक्ति करता हूं।



पशुपालकों को प्रोत्साहन

हाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कृषि के साथ पशुपालन विकास के लिए किसानों और पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाए। गौवंश के सम्मान और सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए जाएं। वृद्ध गायों के लिए गौशालाएं संचालित करने के साथ पशुपालन विकास को प्राथमिकता देना आवश्यक है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग संबंधित विभागों के सहयोग से बेहतर परिणाम लाने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ें।

गौवंश के लिए खास इंतजाम

हाईवे पर गौवंश की उपस्थिति से यातायात से जुड़ी समस्या होती है। इसे देखते हुए पशुपालन और डेयरी विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि प्रदेश में पहले चरण में रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास, राजगढ़ आदि जिलों का चयन कर हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग व्हीकल को टोल व्यवस्था से जोड़कर इस समस्या के समाधान का कदम उठाया है। इसके लिए जरूरी वाहन व्यवस्था की गई है। यह वाहन गौवंश को नजदीक की गौशाला में टोल नाका संचालक और संस्थानों की मदद से ले जाएंगे। इस सुविधा को जल्द ही अन्य जिलों में शुरू किया जाएगा।

मध्यप्रदेश सरकार अब विकसित करेगी आनंद ग्राम, सब होंगे खुशहाल

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति के आदर्श पुरुषों और ऐतिहासिक पात्रों के जीवन से आज के युवा वर्ग को सीख देने के लिए अन्य विभागों से समन्वय कर रूपरेखा तैयार कर गतिविधियों का संचालन करें। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति के आदर्श महापुरुषों पर प्रकाशित कृतियों को आनंद विभाग विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री मंत्रालय में आनंद विभाग एवं राज्य आनंद संस्थान के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि हैपीनेस के पैमाने के मूल्यांकन के लिए प्रदेश के किसी उच्च शिक्षा संस्थान अथवा आईआईटी के सहयोग से अध्ययन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैचारिक और रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रत्येक जिले में एक केंद्र अथवा भवन होना चाहिए जिसमें नगरीय विकास विभाग की सहभागिता भी हो। ये भवन मांगलिक भवन से भिन्न हो और यहां शहर के प्रबुद्ध वर्ग के साथ आम नागरिकों की उपस्थिति में रचनात्मक कार्य म संचालित होना चाहिए। विभाग आनंद ग्राम विकसित करने का कार्य कर रहा है। पायलट आधार पर ऐसे ग्राम, जहां सद्भावना, भाईचारा, परस्पर सहयोग और आनंद का भाव प्रमुख हो, उन्हें उदाहरण के रूप में सामने लाया जाएगा।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

“आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा”